POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 02-10-2024

1.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा उत्पादक कम्पनियों का प्रचार-प्रसार कराने एवं उत्पादकों को देश के विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 लैपटॉप, 07 डेस्क्टॉप कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर, 01 स्टाम्प मोहर, 12 पम्पलेट, 16 डायरी, 74 सर्टिफिकेट एवं 02 मोबाइल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना सेक्टर-63 नोएडा की साइबर हेल्प डेस्क पर पिछले कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्रान्तर्गत सी-4 सी ब्लॉक में Go4Distributors.com BSDM TECHMART PRIVATE LIMITED C-4 C BLOCK नाम की एक कम्पनी डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर आवेदकों के साथ धोखाधडी कर रही है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता निवासी कन्डेरा, थाना रमाला, जिला बागपत द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की गयी तो वहां मौजूद कम्पनी के डायरेक्टर दिगपाल सिंह व भूपल सिंह द्वारा बताया गया कि हम लोग सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करके ऐसे लोगो को प्रलोभित करते है, जो किसी भी प्रकार के सामान का उत्पादन करके या थोक में खरीदकर अपने ब्रान्ड के नाम से बेचना चाहते है। हम उन्हे बताते है कि यदि आप हमें 50,000 से 1,50,000 रूपये तक का काम के अनुसार भुगतान करेगें तो हम आपके सामान की बिक्री के लिये देश के विभिन्न राज्यो में डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध करायेंगे, जो आपके सामान को जल्दी बिकवाकर आपकी कम्पनी के मुनाफे को कई गुना बढ़ा देंगे।

ऑफिस में टेबल पर रखे लेपटॉप में खुले वेबपेज पर प्रदर्शित डाटा में क्लाइंट क्रमशः 1-प्रशान्त निवासी गुजरात 2-नितिन वर्मा निवासी गुजरात 3-मिलन निवासी सूरत, गुजरात 4-पंकज कुमार निवासी नागपुर, महाराष्ट्र 5-राजन निवासी जिला कच्छ, गुजरात 6-मनीष पुण्डली राव काले निवासी अमरावती, गुजरात 7-मुजफ्फर जमाल निवासी नागापाडा नोर्थ, कलकत्ता आदि से फोन द्वारा सम्पर्क किया गया तो सभी के द्वारा बताया गया कि उक्त कम्पनी के द्वारा हमें विज्ञापन करने एवं डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी की गयी है। कम्पनी द्वारा हमे ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराया गया तथा ना ही कोई सामान बिकवाया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि ऐसे बहुत से पीड़ित है जिनसे उक्त कम्पनी द्वारा इसी प्रकार की ठगी की गयी है।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.10.2024 को **थाना सेक्टर-63,** नोएडा पुलिस द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच के क्रम में लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए उत्पादक कम्पनियों का प्रचार-प्रसार कराने एवं उत्पादकों को देश के विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1-दिगपाल सिंह किरौला पुत्र भोपाल सिंह 2-भूपल सिंह पुत्र मोहन सिंह को सी-4 ग्राउण्ड फ्लोर चौकी क्षेत्र सी ब्लाक से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से ठगी करने में प्रयोग किये जा रहे उपकरण- 03 लैपटॉप, 07 डेस्क्टॉप कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर, 01 स्टाम्प मोहर, 12 पम्पलेट, 16 डायरी, 74 सर्टिफिकेट एवं 02 अदद मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी) बरामद किये गये है।

अपराध करने का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करके ऐसे उत्पादकों को प्रलोभित करते थे, जो किसी भी प्रकार के सामान का उत्पादन करके थोक में खरीदकर अपने ब्रान्ड के नाम से बेचना चाहते थे। अभियुक्तों द्वारा ऐसे लोगों को बताया जाता था कि यदि उत्पादक इन्हे 50,000 से 1,50,000 रुपये तक का काम के अनुसार भुगतान करेगे तो हम आपके सामान की बिक्री के लिये देश के विभिन्न राज्यो मे डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध करायेंगे, जो आपके सामान को जल्दी बिकवाकर आपकी कम्पनी के मुनाफे को कई गुना बढ़ा देंगे। इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा उत्पादको से लाखों रूपये की ठगी की जाती थी तथा उत्पादक का न ही कोई सामान बिकवाया जाता था और न ही उन्हे डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराया जाता था। इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा काफी लोगों के साथ 50,000 से 1,50,000 रुपये तक की ठगी की गयी है। अभियुक्तों द्वारा अधिकतर गैर राज्य के उत्पादकों को प्रलोभित करके अपना शिकार बनाया जाता था, जिससे कि कोई इनके ऑफिस आकर इनका विरोध ना कर सके।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम अपनी कम्पनी का सोशल मीडिया फेसबुक, इन्स्टाग्राम व अन्य प्रकार से विज्ञापन करके विक्रेता, उत्पादको को प्रलोभित करते थे तथा उनसे कहते थे कि यदि आप अपना सामान जल्दी व अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहते है तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स से जोडकर आपके सामान को जल्दी बिकवाते हुए अधिक मुनाफा प्रदान करेगें। जब विक्रेता हमारे साथ जुडकर हमे भुगतान कर देता था तब हम उनसे सैम्पल के रुप में कुछ सामान मंगाते थे, जिसे हम आपस में बांट लेते थे तथा विक्रेता को बता देते थे कि आपका सामान डिस्ट्रीब्यूटरो को सैम्पल के रुप में भेज दिया गया है जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आपको बड़ा आर्डर प्रदान करेंगे। इसके बाद जब उत्पादक हमे फोन करके डिस्ट्रीब्यूटरो के बारे में पूछता था तो हम उसे बताते थे कि आपका उत्पाद बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है इसलिए इसे बडे-बडे सुपर मार्ट आदि में बिकना चाहिए। इसके लिये विज्ञापन हेतु आपको अतिरिक्त पैसे अदा करने होगे। जब उत्पादक हमे अतिरिक्त पैसे दे देता था तो हम कुछ समय तक टाल-मटोल करते रहते थे। काफी समय बीत जाने पर जब उत्पादक परेशान होकर डिस्ट्रीब्यूटर ना प्रदान किये जाने की शिकायत करता था और हमसे अपना पैसा वापस मांगता था तो हम उसे बताते थे कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्तर की है इसलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे बेचने के

लिये तैयार नहीं हो रहा है और आपने जो पैसा हमे दिया था वो विज्ञापनो और उत्पाद के सैम्पलो को भिजवाने आदि में खर्च हो गया। इसलिए पैसा वापस नहीं किया जा सकता।

अभियुक्तों का विवरण--

1. दिगपाल सिंह किरौला पुत्र भोपाल सिंह किरौला निवासी ग्राम बन्धरा पोस्ट जाल्ली थाना द्वाराहॉट जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड वर्तमान पता नितिखण्ड प्रथम, थाना इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद (उम्र 29 वर्ष)।
2. भूपल सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी खडकतिया थाना चोखुटिया जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड वर्तमान पता एफएफ आई वेदान्ता होम, सर्फाबाद, सेक्टर-73 थाना सेक्टर-113 नोएडा (उम्र 31वर्ष)।

बरामदगी का विवरण--

1. 03 लैपटॉप
2. 07 डेस्क्टॉप कम्प्यूटर
3. 01 प्रिंटर
4. 01 स्टाम्प मोहर
5. 12 पम्पलेट
6. 74 सर्टिफिकेट
7. 02 मोबाइल
8. 16 डायरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 442/2024 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63 नोएडा।

2.थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा वी0ओ0आई0पी0 कॉल, टी0एफ0एन0 व सोफ्टफोन के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ ऑनलाइन धोखाधडी करके अनाधिकृत रुप से अवैध पैसा कमाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 15 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 18 लैपटॉप, 04 इण्टरनेट

राउटर, 03 चार पहिया वाहन, 02 दो पहिया वाहन, 14 हेडफोन, 18 लैपटॉप चार्जर/एडेप्टर, 24 मोबाइल फोन, 98 हजार रुपये नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.10.2024 को **थाना सेक्टर-39** पुलिस द्वारा सी-234, सेक्टर-100 नोएडा से वी0ओ0आई0पी0 कॉल, टी0एफ0एन0 व सोफ्टफोन के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ ऑनलाइन धोखाधडी करके अनाधिकृत रुप से अवैध पैसा कमाने वाले गैंग के 15 अभियुक्तों को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 18 लैपटॉप, 04 इण्टरनेट राउटर, 03 चार पहिया वाहन, 02 दो पहिया वाहन, 14 हेडफोन, 18 लैपटॉप चार्जर/एडेप्टर, 24 मोबाइल फोन, 98 हजार रुपये नकद बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग विदेशी नागरिको से धोखाधडी करने हेतु कॉलिंग करने का काम करते हैं। हमारे द्वारा विदेशी नागरिकों के कम्प्यूटर पर फर्जी लिंक व ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से एमेजोन व पे-पाल कंपनी की तरफ से एप्पल प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल होने पर रिफण्ड प्रोसेस करने के लिए टेक सपोर्ट हेतु एक फर्जी हेल्प लाइन नम्बर भी प्रदर्शित कर देते है। जिससे उपभोक्ता परेशान होकर प्रदर्शित हेल्प लाइन नम्बर पर कॉल करता है। हमारे द्वारा विदेशी नागरिकों के सिस्टम से रिफण्ड प्रोसेस करने के नाम पर विदेशी नागरिकों के सिस्टम का कंट्रोल, ऐनीडेस्क आदि एप्लीकेशन में ले लेते है। जिससे हमे विदेशी नागरिक के कई निजी जानकारी के साथ बैंक खातो का विवरण प्राप्त हो जाता है। उपभोक्ता के बैंक बैलेंस को देखते हुये हमारे द्वारा उपभोक्ता से रिफण्ड प्रोसेस करने के नाम पर चार्ज हेतु अलग-अलग धनराशि हजारों डॉलरो के गिफ्ट कूपन/क्रिप्टो करेंसी के रुप प्राप्त की जाती है, जो हम कैश करवा लेते है। फिर वह पैसा हम लोग आपस में बाँट लेते हैं।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा विदेशी नागरिकों के कम्प्यूटर पर फर्जी लिंक व ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से एमेजोन व पे-पाल कंपनी की तरफ से एप्पल प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल होने पर रिफण्ड प्रोसेस करने के लिए टेक सपोर्ट हेतु एक फर्जी हेल्प लाइन नम्बर भी प्रदर्शित कर देते है। जिससे उपभोक्ता परेशान होकर प्रदर्शित हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करता है। अभियुक्तों द्वारा विदेशी नागरिकों के सिस्टम से रिफण्ड प्रोसेस करने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है।

अभियुक्तो का विवरण--

1. विनीत पुत्र उमेश सिंह निवासी गाँव लारटाउन थाना सलेमपुर जिला देवरिया।

2. पीयुष कुमार मौर्य पुत्र अशोक कुमार मौर्य निवासी टी 86, नीयर गुप्ता मैडिकल सराय कालेखाँ दिल्ली मूलपता उज्जवल महानगर बरेली उम्र करीब 22 वर्ष।
3. अमित कुमार पुत्र सुनील कुमार शर्मा निवासी नीयर निकेतन स्कूल, छज्जानगर कालोनी , सेहतपुर पल्ला फरीदाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
4. वाडेपन पुत्र ऐम्चा निवासी 8/9 कृष्णा अपार्टमेंट , बसंत कुंज दिल्ली मूल निवासी सिंहजापाई वार्ड नं0 8 इम्पाल वैस्ट मणिपुर उम्र करीब 29 वर्ष।
5. संजू ग्वाला पुत्र राजेश ग्वाला निवासी फाटापुकर जलपाईगुड़ी, पं0बंगाल, उम्र करीब 25 वर्ष।
6. प्रगित दास पुत्र प्रवीण दास निवासी जघनकारपुर पं0बंगाल उम्र करीब 24 वर्ष।
7. राघव देवरा पुत्र अनिल देवरा निवासी राजनिवास रेजीडेंसी सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहबाद उम्र 26 वर्ष।
8. रोहित कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी रामपुर पूर्णिया, बिहार उम्र 27 वर्ष।
9. हिमांशु कुमार पुत्र अजीत कुमार निवासी न्यु हरि एवेन्यू खरड़ चण्डीगढ़, उम्र 23 वर्ष।
10. इब्राहम अहमद पुत्र इफ्तखार अहमद निवासी 9 सराय कालेखाँ नियर गुप्ता मेडिकल, नई दिल्ली 110013 उम्र करीब 23 वर्ष।
11. सिद्धार्थ डिगरा पुत्र कमल डिगरा निवासी डी 112 झिलमिल कालोनी ईस्ट दिल्ली यमुनापार, उम्र 32 वर्ष।
12. कुशाल पुत्र स्वर्गीय मनोज गुप्ता निवासी ए 118 मंगल बाजार रोड लक्ष्मीनगर, दिल्ली 110092 उम्र करीब 32 वर्ष।
13. रितेश मिश्रा पुत्र स्वर्गीय कैलाश मिश्रा निवासी नियर पीएचसी स्टेशन रोड उखड़ा वर्धमान, प0बंगाल उम्र करीब 27 वर्ष।
14. रितिक राय पुत्र जुगनू राय निवासी फाटापुकुर जलपाईईगुड़ी, प0बंगाल उम्र 24 वर्ष।
15. विशाल प्रसाद पुत्र राजकुमार प्रसाद निवासी डागापुर सिलीगुड़ी, प0बंगाल उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवण--

1. 18 लैपटॉप
2. 04 इण्टरनेट राउटर
3. 14 हेडफोन
4. 18 लैपटॉप चार्जर/एडेप्टर
5. 24 मोबाइल फोन
6. 98 हजार रुपये नकद
7. वाहन सं0-एचआर30आर4336 मारूति स्विफ्ट सिल्वर रंग
8. वाहन सं0-डीएल2सीएटी6534 होण्डासिटी सिल्वर रंग
9. वाहन सं0-डीएल12सीएम1959 पोलो सफेद रंग

10. वाहन सं0-डीएल7एससीएम2964 टीवीएस एन्टोर्क
11. वाहन सं0-डीएल5एसएसी5104 होण्डा एक्टिवा रंग सफेद

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 580/24 धारा 61(2)/318(4)/319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना से0-39, नोएडा।